**भारत सरकार**

**कृषि मंत्रालय**

**कृषि एवं सहकारिता विभाग**

**राज्‍य सभा**

**अतारांकित प्रश्‍न सं. 1087**

**23 मार्च, 2012 को उत्‍तरार्थ**

**विषय: सिंचित कृषि भूमि**

**1087 श्री पीयुष गोयल :**

 क्‍या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि:

(क) क्‍या यह सच है कि देश में केवल नौ प्रतिशत कृषि भूमि ही सिंचित है;

(ख) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ग) क्‍या सरकार ने सिंचित कृषि भूमि बढ़ाए जाने को उल्‍लेखनीय रुप से महत्‍व दिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है;

(ड.) क्‍या इस संबंध में कोई लक्ष्‍य निर्धारित किए गए हैं ;

(च) यदि हां, तो तत्‍संबंधी ब्‍यौरा क्‍या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्‍या कारण हैं ?

**उत्‍तर**

**कृषि एवं खाद्य प्रसंस्‍करण उद्योग मंत्रालय में राज्‍य मंत्री (डॉं. चरण दास महन्‍त)**

**(क) एवं (ख):** जी नहीं । उपलब्‍ध अनुमानों (2009-10) के अनुसार, 140 मिलियन हैक्‍टेयर निवल बोये गये क्षेत्र का लगभग 63 मिलियन हैक्‍टेयर (45%) सिंचित है । निवल सिंचित क्षेत्र का ब्‍यौरा **अनुबंध** पर है ।

**(ग) से (छ):** सरकार बड़ी और मध्‍यम सिंचाई (एमएमआई) परियोजनाओं के माध्‍यम से सिंचाई संभावना विकसित किए जाने को काफी महत्‍व देती है जिससे सिंचाई क्षमता वर्ष 1951 में लगभग 9.7 मिलियन हैक्‍टेयर येाजना पूर्व चरण से बढ़कर मार्च, 2010 तक लगभग 45.6 मिलियन है0 हो गई है । राज्‍य सरकारों को त्‍वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी), कमान क्षेत्र विकास एवं जल प्रबंधन (सीएडीएंडडब्‍ल्‍यूएम) तथा जल निकायों की मरम्‍मत, नवीकरण व बहाली (आरआरआर) आदि जैसी विभिन्‍न स्‍कीमों/कार्यक्रमों के माध्‍यम से तकनीकी और वित्‍तीय सहायता मुहैया कराई जाती है ।

 XI वीं योजना के लिए 16 मिलियन है0 की अतिरिक्‍त सिंचाई क्षमता (मुख्‍य तथा मध्‍यम सिंचाई परियोजनाओं के माध्‍यम से 9 मिलियन है0 और लघु सिंचाई परियोजनाओं के माध्‍यम से 7 मिलियन है0) सृजित करने का लक्ष्‍य निर्धारित किया गया था । इस लक्ष्‍य को मध्‍यावधि मूल्‍यांकन के दौरान कम करके क्रमश: बड़ी मध्‍यम के माध्‍यम से 5.0 मिलियन है0 तथा लघु सिंचाई के माध्‍यम से 4.5 मिलियन है0 कर दिया गया था ।

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **अनुबंध****अ.प्र.सं.1087**  |
|  |  **निवल बोये गए क्षेत्र तथा निवल सिंचित क्षेत्र की राज्‍यवार मात्रा (2009-10)** |
|  |
|  |  |  |  | *(हजार है0 में)* |
|  | **क्र.सं.** | **राज्‍य** | **निवल बोया गया क्षेत्र** | **निवल सिंचित क्षेत्र** | **वर्षा सिंचित क्षेत्र**  |
|  | 1 | आन्‍ध्र प्रदेश | 9991 | 4214 | 5777 |
|  | 2 | अरुणाचल प्रदेश | 212 | 56 | 156 |
|  | 3 | असम | 2811 | 197 | 2614 |
|  | 4 | बिहार | 5332 | 3394 | 1938 |
|  | 5 | छत्‍तीसगढ़ | 4683 | 1323 | 3360 |
|  | 6 | गोवा | 132 | 29 | 103 |
|  | 7 | गुजरात | 10302 | 4336 | 5966 |
|  | 8 | हरियाणा | 3550 | 3069 | 481 |
|  | 9 | हिमाचल प्रदेश | 542 | 108 | 434 |
|  | 10 | जम्‍मू एवं कश्‍मीर | 735 | 317 | 418 |
|  | 11 | झारखंड | 1250 | 102 | 1148 |
|  | 12 | कर्नाटक | 10404 | 3390 | 7014 |
|  | 13 | केरल | 2079 | 386 | 1693 |
|  | 14 | मध्‍य प्रदेश | 14972 | 6892 | 8080 |
|  | 15 | महाराष्‍ट्र | 17401 | 3254 | 14147 |
|  | 16 | मणिपुर | 233 | 52 | 181 |
|  | 17 | मेघालय | 283 | 62 | 221 |
|  | 18 | मिजोरम | 123 | 10 | 113 |
|  | 19 | नागालैण्‍ड | 361 | 73 | 288 |
|  | 20 | उड़ीसा | 5574 | 2180 | 3394 |
|  | 21 | पंजाब | 4158 | 4073 | 85 |
|  | 22 | राजस्‍थान | 16974 | 5850 | 11124 |
|  | 23 | सिक्‍किम | 77 | 14 | 63 |
|  | 24 | तमिलनाड़ु | 4892 | 2864 | 2028 |
|  | 25 | त्रिपुरा | 280 | 58 | 222 |
|  | 26 | उत्‍तराखंड | 741 | 338 | 403 |
|  | 27 | उत्‍तर प्रदेश | 16589 | 13457 | 3132 |
|  | 28 | पश्‍चिम बंगाल | 5256 | 3112 | 2144 |
|  | 29 | अ0एवं नि0द्वीप समूह | 15 | 0 | 15 |
|  | 30 | चंडीगढ़ | 1 | 1 | 0 |
|  | 31 | दादर एवं नगर हवेली | 20 | 4 | 16 |
|  | 32 | दमन एवं दियू | 4 | 0 | 4 |
|  | 33 | दिल्‍ली | 22 | 22 | 0 |
|  | 34 | लक्षद्वीप | 3 | 1 | 2 |
|  | 35 | पुद्दुचेरी | 19 | 16 | 3 |
|  |   | **कुल** | **140021** | **63254** | **76767** |

 **स्रोत: अर्थ एवं सांख्‍यिकी निदेशालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय**